... की पूर्व-प्रदायगी के
... द्वारा भेजे जाने क
... अनुमत. अनुमति-पत्र
... पी. सी. 49.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

[... 372]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 1976—आश्विन 14, शके 1898.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1976.

क्र. 37972-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 2 अक्टूबर 1976 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सं. जु. पुराणा, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५२ सन् १९७६

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६

विषय-सूची

धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. कर का भार.
४. वह दर जिससे प्रवेश-कर प्रभारित किया जायगा.
५. व्यापारी द्वारा घोषणा का दिया जाना.
६. व्यापारी पर प्रवेश-कर के उद्ग्रहण को शासित करने वाले सिद्धांत.
७. रजिस्ट्रीकृत व्यापारी स्थानीय माल के संबंध में घोषणाओं का आदान प्रदान करेंगे.
८. अपने जिम्मे रखे गए उत्तरदायित्व या बाध्यता को पूरा करने में असफल रहने के लिए शास्ति.
९. अनुसूची २ तथा ३ का संशोधन.
१०. छूट देने की शक्ति.
११. सबूत का भार.
१२. वह दर जिससे धारा ३ (२) के अधीन माल पर प्रवेश-कर प्रभारित किया जायगा.
१३. विक्रय कर अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना.
१४. प्रवेश-कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.
१५. अपील.
१६. पुनरीक्षण करने की आयुक्त की शक्ति.
१७. प्रवेश-कर के आगमों का मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि में जमा किया जाना.
१८. आदेशों की अन्तिमता.
१९. कतिपय मामलों में मुजराई.
२०. नियम बनाने की शक्ति.
२१. अस्थायी उपबन्ध.
२२. मध्यप्रदेश एक्ट क्रमांक ३ सन् १९५८ की धारा १० का लागू होना.
२३. कठिनाईयों का दूर किया जाना.
२४. निरसन.
अनुसूची १, अनुसूची २ तथा अनुसूची ३.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५२ सन् १९७६.

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६

[राष्ट्रपति की अनुमति, दिनांक २ अक्टूबर १९७६ को प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेशराजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ६ अक्टूबर १९७६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

विक्रय-कर के बदले में मध्यप्रदेश में के किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये, माल के प्रवेश पर कर का अधिक सुविधाजनक रीति में उद्ग्रहण करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(२) यह १ सितम्बर, सन् १९७६ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश" से, उसके समस्त व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है उस स्थानीय क्षेत्र में, उससे बाहर के किसी भी स्थान से, जिसके कि अन्तर्गत राज्य से बाहर का कोई स्थान आता है, उसमें (स्थानीय क्षेत्र में) उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये माल का प्रवेश;

(ख) "प्रवेश-कर" से अभिप्रेत है किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये माल के प्रवेश पर कर जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उद्ग्रहीत किया गया हो तथा देय हो;

(ग) "स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि" से अभिप्रेत है यथास्थिति छावनी बोर्ड अधिनियम, १९२४ (क्रमांक २ सन् १९२४), भोपाल स्टेट टाउन एरिया कमेटी एक्ट, १९५४ (क्रमांक २५ सन् १९५४), मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत्स एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) या मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामनिवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३);

(घ) "स्थानीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो कि किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हो;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा प्राधिकारी जो स्थानीय प्राधिकारी से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन गठित किया गया हो किन्तु उसके अन्तर्गत कोई जनपद पंचायत, कोई जिला पंचायत, कोई मण्डल पंचायत या कोई अन्य ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नहीं आता;

(च) "स्थानीय माल" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, अभिप्रेत है स्थानीय उत्पत्ति का ऐसा माल जो उस माल से सुभिन्न हो जिसका कि उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश होता हो;

(छ) "विक्रय कर अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, १९५८ (क्रमांक २ सन् १९५९);

(ज) किसी व्यापारी के संबंध में, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की बाबत, जिसमें कि उस व्यापारी ने—

(क) अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये माल का, उस स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये प्रवेश किया हो; या

... क्षेत्र में, उसमें उपभोग या उपभोग

किसी कालावधि के लिये "कर योग्य बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है वह बाजार मूल्य जो ... कालावधि के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में क्रय के तौर पर अर्जित या अभिप्राप्त ... अन्य प्रकार से अर्जित या अभिप्राप्त किये गये ऐसे माल के बाजार मूल्य तथा ऐसी कालावधि के प्रारम्भ के ऐसे माल के स्टाक के बाजार मूल्य में से निम्नलिखित बाजार मूल्यों, अर्थात्:—

(एक) धारा १० के अधीन छूट प्राप्त ऐसे माल के बाजार मूल्य को;

(दो) ऐसी कालावधि के अन्त में स्टाक में के ऐसे माल के बाजार मूल्य को; और

(तीन) ऐसे माल के किसी अन्य बाजार मूल्य को, जो कि विहित कि...

घटाने के पश्चात् आता हो:

परन्तु जहां ऐसे माल के संबंध में प्रवेश-कर यथामूल्य आधार पर उद्ग्रहीत नहीं किया गया हो कि... अन्य इकाई के आधार पर उद्ग्रहीत किया गया हो, वहां ऐसे बाजार मूल्य के स्थान पर ऐसी ... की कुल संख्या पर विचार किया जायगा और इकाइयों की कुल संख्या, जिसके कि संबंध ... कर देय हो, ऐसे माल के लिये कर योग्य बाजार मूल्य होगी;

(झ) किसी व्यापारी के संबंध में, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की बाबत, जिसमें कि उस व्यापारी ने ... प्रवेश किया हो, किसी कालावधि के लिये "कर योग्य क्रय मूल्य" से अभिप्रेत है,—

(१) अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये माल के, जो कि उस कालावधि के दौरान उस स्था... में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये हों, क्रय मूल्यों, जिनमें ऐसे माल के ... का, जो कि ऐसी कालावधि के प्रारंभ के समय हों, क्रय मूल्य सम्मिलित होगा, का वह भाग; और

(२) अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल के, जो कि उस कालावधि के दौरान उस क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिये हो किन्तु उस स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये न... मूल्यों, जिनमें ऐसे माल के उन स्टाकों का,

जो कि ऐसी कालावधि के प्रारम्भ के समय हों, क्रय मूल्य सम्मिलित होगा, वह भाग जो कि उस योग में से निम्नलिखित क्रय मूल्यों, अर्थात्:—

(एक) धारा १० के अधीन छूट-प्राप्त ऐसे माल के क्रय मूल्य को;

(दो) धारा ११ के अनुसार सबूत के अध्यधीन रहते हुये, उस स्थानीय माल के क्रय-मूल्य ... कि उसी स्थानीय क्षेत्र में बेचा गया हो जिसके कि संबंध में ऐसा माल स्थानीय ...

(तीन) उपर्युक्त (दो) के अध्यधीन रहते हुये, अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे ... जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया गया हो, क्रय मूल्य को;

(चार) अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे माल के, जो कि बेचा गया हो या जिसका माल के रूप में उपभोग या उपयोग न किया गया हो, क्रय मूल्य को;

(पांच) उस कालावधि के अन्त में के स्टाक में के ऐसे माल के क्रय मूल्य को; और

(छः) ऐसे माल के किसी अन्य क्रय मूल्य को जो कि विहित किया जाय

घटाने के पश्चात् आता हो;

(ञ) किसी व्यापारी के संबंध में "कर योग्य मात्रा" से अभिप्रेत है कर योग्य क्रय मूल्य त... योग्य बाजार मूल्य का योग;

(ट) "विक्रय राशि तथा क्रय राशि कर (टर्न ओवर टैक्स)" से अभिप्रेत है विक्रय कर अधिनि... धारा ७-बी के अधीन उद्ग्रहीत किया गया कर;

(ठ) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में या किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने कि किसी स्था... में माल का प्रवेश किया हो "माल का मूल्य" से अभिप्रेत है ऐसे माल का क्र... अर्थात् वह क्रय कीमत, जिस पर कि ऐसे व्यापारी ने उस माल का क्रय कि... जिसमें उसके द्वारा वहन किये गये प्रभार, जैसे परिवहन का खर्च, पैक करने, अग्रेष... तथा हस्तन के प्रभार, कमीशन, बीमा तथा उसी प्रकार के अन्य प्रभार सम्मिलित होंगे, ... ऐसा माल उसके द्वारा क्रय नहीं किया गया हो तो ऐसे माल का बाजार मूल्य, जैसी दशा हो.

(२) अभिव्यक्ति "माल" तथा "विक्रय" से भिन्न समस्त उन अभिव्यक्तियों के जो उस अधि... प्रयोग में लाई गई हों किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो विक्रय कर अधिनियम में परिभाषित की गई ... अर्थ होंगे जो कि उनके लिए उस अधिनियम में दिये गये हैं.

Scanned by CamScanner

(३) इस अधिनियम में, अभिव्यक्ति "माल का प्रवेश किया हो", उसके व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों सहित, चाहे वह अकेले या किन्हीं अन्य शब्दों के साथ-साथ प्रयोग में लाई गई हो, के प्रति निर्देश का, जब भी आवश्यक हो, यह अर्थ लगाया जायगा कि उसमें "माल का प्रवेश कराया हो" के प्रति निर्देश भी सम्मिलित है.

कर का भार.

३. (१) प्रवेश-कर निम्नलिखित पर उद्ग्रहीत किया जायगा—!

(क) अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये माल के प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये उस माल के उस प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में, किसी व्यापारी के कारबार के अनुक्रम में, हुए प्रवेश पर; और

(ख) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में, उसमें ऐसे माल का कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिये न कि विक्रय के लिये, किसी व्यापारी के कारबार के अनुक्रम में, उस माल के, जो कि अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रवेश पर,

और ऐसे कर का भुगतान विक्रय कर अधिनियम के अधीन कर के लिये दायी प्रत्येक ऐसे व्यापारी द्वारा किया जायगा जिसने कि ऐसे माल का प्रवेश कराया हो :

परन्तु जहां कोई व्यापारी, जो कि खण्ड (ख) के अधीन उस माल पर प्रवेश-कर चुकाने के दायित्वाधीन हो जिसका कि उसके द्वारा उन परिस्थितियों में क्रय किया गया हो, जिनमें कि ऐसा व्यापारी उसके क्रय-मूल्य पर विक्रय राशि तथा क्रय राशि कर (टर्न ओवर टैक्स) चुकाने के दायित्वाधीन हो या जिसका कि उसके द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यापारी से क्रय किया गया हो, जो कि उसके विक्रय मूल्य पर विक्रय राशि तथा क्रय राशि कर (टर्न ओवर टैक्स) चुकाने के दायित्वाधीन हो, वहां ऐसा व्यापारी उसके द्वारा देय प्रवेश-कर की रकम में से यथास्थिति ऐसे क्रय-मूल्य या विक्रय-मूल्य पर उद्ग्रहीत विक्रय राशि तथा क्रय राशि कर (टर्न ओवर टैक्स) के बराबर की रकम की मुजराई पाने का हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अपने कारबार के अनुक्रम में, किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी ऐसे व्यापारी से माल का क्रय करता है जिसने कि ऐसे क्रय से पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल का प्रवेश किया हो, वहां प्रवेश-कर उस व्यापारी द्वारा चुकाया जायगा जिसने कि ऐसे माल का क्रय किया हो.

(२) अनुसूची २ या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल में से ऐसे माल के, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये प्रवेश पर प्रवेश-कर उद्ग्रहीत किया जायगा यदि ऐसा प्रवेश उपधारा (१) में वर्णित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में किया गया हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के प्रवेश पर प्रवेश-कर उद्ग्रहीत नहीं किया जायगा यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाय कि ऐसा माल पहले ही प्रवेश-कर या विक्रय राशि तथा क्रय राशि कर (टर्न ओवर टैक्स) के अध्यधीन हो चुका है या यह कि इन दोनों करों में से कोई भी कर किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी द्वारा चुकाये जाने योग्य है.

(३) उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के अधीन उद्ग्रहीत किये गये प्रवेश-कर का भुगतान ऐसे माल के मूल्य पर किया जायगा.

(४) अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट किये गये माल पर कोई प्रवेश-कर देय नहीं होगा.

(५) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची १ को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे उसमें कोई भी ऐसा माल सम्मिलित हो जाय जो कि उसमें पहले से ही विनिर्दिष्ट न हो और वैसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची २ या अनुसूची ३ को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे उसमें से वह माल अपवर्जित हो जाय जो कि अनुसूची १ में इस प्रकार सम्मिलित किया गया है और तदुपरि अनुसूची १ तथा यथास्थिति अनुसूची २ या अनुसूची ३ तदनुसार संशोधित हो जायगी.

वह दर जिससे प्रवेश-कर प्रभारित किया जावेगा.

४. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय प्रवेश-कर, अनुसूची २ तथा अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल के संबंध में उसकी कर योग्य मात्रा पर, उक्त अनुसूचियों के कालम (३) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में वर्णित दर से प्रभारित किया जायेगा :

Scanned by CamScanner

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुये जो कि विहित किये जायं/की जायं —

(एक) अनुसूची २ या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे माल के संबंध में, जो अन्य माल के विनिर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाये जाते हों, देय प्रवेश कर अनुसूची २ के क्रमांक ६ पर वर्णित माल की दशा में १/४ प्रतिशत तथा अन्य माल के संबंध में १/२ प्रतिशत होगा;

(दो) जहां कोई व्यापारी शर्तों या निर्बन्धनों में से किसी भी शर्त या निर्बन्धन का उल्लंघन करता है या उस स्थानीय क्षेत्र में माल का कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग नहीं किया है, वहां प्रवेश-कर के रूप में ऐसी रकम चुकाने का दायी होगा, जो कि यथास्थिति अनुसूची २ या अनुसूची ३ में यथावर्णित पूरी दर पर देय प्रवेश-कर तथा उपर्युक्त खंड (एक) में वर्णित ऐसे कर की रियायती दर के बीच होने वाले अन्तर के बराबर हो:

परन्तु यह और भी कि जहां अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किया गया ऐसा माल, जिस पर कि प्रवेश-कर पूरी दर से चुका हो, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, अन्य माल के विनिर्माण में उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिये क्रय किया गया हो, वहां ऐसा व्यापारी ऐसे सबूत के पेश करने पर और ऐसी रीति में, और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जैसी कि विहित की जायं, उस कीमत के, जिस पर कि उसने माल का क्रय किया था, ऐसे अनुपात पर, जैसा कि विहित किया जाय, यथास्थिति इतनी मुजराई या वापसी पाने का हकदार होगा जो कि अनुसूची २ में वर्णित पूरी दर पर देय प्रवेश-कर तथा प्रथम परन्तुक में वर्णित उस रियायती दर के, जिस पर से कि कच्चे माल पर कर उद्ग्रहीत किया गया है, बीच होने वाले अन्तर के बराबर हो.

(२) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये माल पर प्रवेश-कर उन परिस्थितियों में, जो कि उसमें (अधिसूचना में) वर्णित की गई हों, माल के मूल्य के आधार पर वसूल न करके किसी भिन्न आधार पर वसूल किया जायगा और तदुपरि ऐसे माल पर प्रवेश-कर उस आधार पर प्रभारित किया जायगा मानों कि ऐसी परिस्थितियों में वह आधार उस स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई कर की दर हो.

व्यापारी द्वारा घोषणा का दिया जाना.

५. (१) प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसने अपने कारबार के अनुक्रम में किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूची २ या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल का प्रवेश किया हो, ऐसे माल की बाबत एक घोषणा, ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप में देगा जैसा कि विहित किया जायं;

(२) कोई व्यापारी जो उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित की गई घोषणा न दे या कोई घोषणा विहित किये गये समय के भीतर न दे या अपूर्ण या अशुद्ध घोषणा फाइल करे, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति के दायित्वाधीन होगा जो कि विहित की जाय.

व्यापारी पर प्रवेश-कर के उद्ग्रहण को शासित करने वाले सिद्धांत.

६. धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय प्रवेश-कर नीचे कथित किये गये सिद्धांतों के अनुसार उद्ग्रहीत किया जायगा :—

(क) प्रवेश-कर तब तक देय नहीं होगा जब तक कि व्यापारी ने अनुसूची २ में या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में न किया हो;

(ख) जहां किसी व्यापारी ने किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी ऐसे माल का उपभोग, उपयोग या विक्रय किया हो वहां, जब तक कि उसके द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायगा कि उस स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये ऐसे माल का प्रवेश हुआ था;

(ग) जब कोई व्यापारी अनुसूची २ या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये माल का किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यापारी से, जो कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न हो, क्रय करे तो, जब तक कि उसके द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायगी कि ऐसे व्यापारी द्वारा ऐसे माल का क्रय किया जाने के पूर्व ही उस माल का ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा प्रवेश किया जा चुका था;

(घ) ऐसे माल पर, जो कि विक्रय कर अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अर्थ के अन्तर्गत राज्य के बाहर बेचा गया हो, कोई प्रवेश-कर देय नहीं होगा;

(ङ) समस्त अभिलेख, दस्तावेजें, लेखा पुस्तकें, जानकारी तथा कोई अन्य सामग्री, जिन्हें कर-निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष विक्रय कर अधि...

Scanned by CamScanner

प्रयोजन के लिये पेश किया गया हो या जिन्हें उसके द्वारा उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया गया हो, यावत्शक्य तथा उस सीमा तक जहां तक कि वे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सुसंगत हों, इस अधिनियम के अधीन उस व्यापारी पर प्रवेश-कर के उद्ग्रहण के लिये आधार बन सकेगी/सकेंगे:

परन्तु कर-निर्धारण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के प्रयोजन के लिये ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि वह आवश्यक समझे, मंगा सकेगा या उसका उपयोग कर सकेगा.

रजिस्ट्रीकृत व्यापारी स्थानीय माल के संबंध में घोषणाओं का आदान प्रदान करेंगे.

७. (१) प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल का अपने कारबार के अनुक्रम में किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसी रीति में विनिर्माण करता है, उत्पादन करता है या उसे उगाता है कि वह माल उस स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय माल बन जाता है तो वह ऐसे स्थानीय माल का किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को विक्रय होने पर उसके साथ घोषणाओं का आदान प्रदान उपधारा (३) में उपबंधित किये गये रूप में करेगा.

(२) जहां उपधारा (१) में वर्णित माल का क्रय तथा विक्रय एक के बाद एक अनेक रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों द्वारा उनके कारबार के अनुक्रम में किया जाय, वहां विक्रय करने वाले तथा क्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी घोषणाओं का आदान प्रदान उपधारा (३) में उपबंधित किये गये रूप में करेंगे:

परन्तु जहां उस माल का क्रय किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाता है जिसका कि कारबार का स्थान उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर हो जिसके कि संबंध में वह माल स्थानीय माल है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के लिये वह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे क्रय के पश्चात् ऐसे माल के व्ययन के संबंध में किसी घोषणा का आदान प्रदान करे.

(३) उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट की गई घोषणाएँ—

(एक) ऐसे प्ररूप में होंगी;

(दो) ऐसी रीति में अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी, भरी जायेंगी, दी जायेंगी तथा उनका आदान प्रदान ऐसी रीति में किया जायगा; और;

(तीन) वे ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत की जायेंगी, जैसा कि विहित किया जाय.

(४) जब स्थानीय माल अरजिस्ट्रीकृत व्यापारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो व्यापारी न हो, बेचा जाय तो किसी घोषणा का आदान प्रदान नहीं किया जायगा.

(५) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गये किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने अपने कारबार के अनुक्रम में स्थानीय माल का अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को विक्रय किया हो और उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार घोषणाओं का आदान प्रदान न किया हो, वहां यह उपधारणा की जायेगी कि उसने इस प्रकार बेचे गये स्थानीय माल पर प्रवेश-कर के अपवंचन को सुकर बनाया है और तदनुसार वह ऐसे माल पर देय प्रवेश-कर के डेढ़ गुने के बराबर रकम की शास्ति का इस प्रकार भुगतान करने का दायी होगा मानो कि वह स्थानीय उत्पत्ति का माल न हो.

(६) जहां उपधारा (२) में निर्दिष्ट किये गये किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने, अपने कारबार के अनुक्रम में, उस स्थानीय माल का, जिसका कि उसके द्वारा क्रय किया गया हो, अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को विक्रय किया हो और उपधारा (२) में वर्णित घोषणाओं का, उन परिस्थितियों में के सिवाय जो कि उपधारा (२) के परंतुक में वर्णित हैं, उसके तथा उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के, जिसे कि उसने उस माल का विक्रय किया हो, बीच आदान प्रदान न किया गया हो, वहां यह उपधारणा की जायगी कि उसने इस प्रकार बेचे गये स्थानीय माल पर प्रवेश-कर के अपवंचन को सुकर बनाया है और वह ऐसे माल पर देय प्रवेश-कर की रकम के डेढ़ गुने के बराबर की शास्ति का इस प्रकार भुगतान करने का दायी होगा मानो कि वह स्थानीय उत्पत्ति का माल न हो.

अपने जिम्मे रखे गये उत्तरदायित्व या बाध्यता को पूरा करने में असफल रहने के लिये शास्ति.

८. जहां कोई व्यापारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या धारा १० के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन कोई ऐसी घोषणा जारी करता है जिसमें कि उसने ऐसी घोषणा के जारी होने के पश्चात् अपने द्वारा क्रय किये गये किसी माल के बारे में कोई विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व या बाध्यता अपने जिम्मे रखी हो और वह ऐसे उत्तरदायित्व या बाध्यता को पूरा करने में असफल रहता है, वहां ऐसा व्यापारी ऐसे माल के संबंध में यथास्थिति अनुसूची २ या अनुसूची ३ में वर्णित की गई दर से संगणित किये गये प्रवेश कर के डेढ़ गुने के बराबर शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी यदि उस व्यतिक्रम के लिये जो कि उस व्यापारी ने ऐसे उत्तरदायित्व या बाध्यता का निर्वहन न करके किया हो, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी कर या शास्ति का अधिरोपण किया जा सकता हो.

Scanned by CamScanner

अनुसूची २ तथा ३ का संशोधन.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची २ तथा अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट की गई प्रवेश कर की दर को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूचियों में से प्रत्येक अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी:

परन्तु प्रवेश-कर की दर में कुल मिलाकर, उस दर के, जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जायगी :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की ऐसी पूर्व सूचना, जैसी कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, "राजपत्र" में दिये बिना जारी नहीं की जायगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जायगी.

छूट देने की शक्ति.

१०. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किया जाय, व्यापारियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या किसी माल या माल के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अधीन प्रवेश-कर के भुगतान से, समस्त स्थानीय क्षेत्रों या स्थानीय क्षेत्रों में से किसी भी स्थानीय क्षेत्र की बाबत तथा ऐसी कालावधि के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, पूर्णतः या अंशतः छूट चाहे भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, दे सकेगी.

सबूत का भार.

११. (१) यह साबित करने का भार—

(क) कि किसी व्यापारी ने अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए नहीं किया है;

(ख) कि किसी व्यापारी ने अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए नहीं किया है;

(ग) कि कोई व्यापारी कर योग्य क्रय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए, स्थानीय माल के क्रय-मूल्य के बारे में कटौती कराने का हकदार है;

(घ) कि किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यापारी से, जो कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न हो, किसी स्थानीय क्षेत्र में क्रय किये गये माल का प्रवेश उसके द्वारा उसका (माल का) क्रय किया जाने के पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में नहीं हुआ था;

(ङ) कि कोई व्यापारी कर योग्य मात्रा की संगणना की जाने में कोई अन्य कटौती कराने का हकदार है,

उस व्यापारी पर ही होगा.

(२) उस स्थानीय माल के, जिसका कि विक्रय उसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो जिसके कि संबंध में ऐसा माल स्थानीय माल है, क्रय-मूल्य के संबंध में कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिये, व्यापारी उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से जिससे कि उसने उस स्थानीय माल का उस स्थानीय क्षेत्र में क्रय किया हो, प्राप्त की गई घोषणा, धारा ७ की उपधारा (१) तथा (२) में उपबन्धित किये गये रूप में पेश करेगा.

वह दर जिससे धारा ३ (२) के अधीन माल पर प्रवेश-कर प्रभारित किया जायगा.

१२. (१) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन देय प्रवेश-कर, धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित किये गये माल के मूल्य पर यथास्थिति अनुसूची २ या अनुसूची ३ के कालम (३) में वर्णित की गई दर से उद्ग्रहीत किया जायगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, उस व्यक्ति पर निर्धारित किया जायगा तथा उससे संग्रहीत किया जायगा जिसके कि कब्जे में ऐसा माल हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, किया जायगा/की जायगी.

(३) कर-निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को, इस धारा के प्रयोजन के लिये, वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि उन प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी के संबंध में प्रयोक्तव्य हैं और किसी व्यापारी पर कर-निर्धारण, अपील तथा पुनरीक्षण से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत, जिसे कि उपधारा (१) लागू होती है, लागू होंगे.

विक्रय कर अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना.

१३. इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विक्रय कर अधिनियम की धारा ३, ७-ए, १७, १८, १९, २०, २१, २२-ए, २२-सी, २४, २४-ए, २६, २७, २९, ३०, ३१, ३३, ३३-बी, ३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४२-ए, ४३, ४५, ४६, ४७, ४७-ए, ४८ तथा ५१ और उनके अधीन जारी किये गये नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी को इस अधिनियम के

Scanned by CamScanner

... उद्गृहीत तथा देय प्रवेश-कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगी मानों कि वे धाराएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में समाविष्ट कर दी गई हों और मानो कि उन धाराओं के अधीन जारी किये गये नियम, आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उन सुसंगत धाराओं के अधीन जारी की गई थीं जो कि इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई हैं.

प्रवेश-कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.

१४. इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का प्रशासन, जहांतक कि वह व्यापारियों पर प्रवेश-कर के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा उनसे प्रवेश-कर के संग्रहण से संबंधित है, विक्रय कर अधिनियम की धारा ३ में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारियों में निहित होगा और तदनुसार वे प्राधिकारी, जो विक्रय कर अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने तथा उसके भुगतान को प्रवर्तित कराने के लिये तत्समय सशक्त हों, उस प्रवेश-कर तथा शास्ति का, जो किसी व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे तथा उसके भुगतान को इस प्रकार प्रवर्तित करेंगे मानो कि ऐसे व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या विक्रय कर अधिनियम के उन उपबन्धों के, जो कि ऐसे व्यापारियों को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर के संबंध में लागू किये गये हैं, अधीन देय कर धारा १३ के अधीन व्यापारियों को इस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति है और इस प्रयोजन के लिये वे उन समस्त शक्तियों का या शास्ति उस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति है ... किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे जो कि उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं.

अपील.

१५. (१) कोई भी व्यापारी, जिसे विक्रय कर अधिनियम की धारा १८ या १९ के अधीन उसके संबंध में पारित किये गये शास्ति सहित या शास्ति रहित कर-निर्धारण के किसी मूल आदेश पर या उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले या धारा २४ के अधीन वापसी से संबंधित किसी मूल आदेश पर या उक्त विक्रय कर अधिनियम की धारा ४५ के अधीन पारित किये गये किसी आदेश पर आपत्ति हो, ऐसे आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसी विहित रीति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील—

(क) अपील सहायक आयुक्त को कर सकेगा, जहां कि मूल आदेश विक्रय-कर अधिकारी या सहायक विक्रय कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) उपायुक्त को कर सकेगा, जहां कि मूल आदेश सहायक आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो.

(२) शास्ति सहित या शास्ति रहित कर-निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध या शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपील-प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि यथास्थिति शास्ति, यदि कोई हो, सहित उस प्रवेश-कर का या उस शास्ति का, जिसके कि संबंध में अपील की गई है, भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु उक्त प्राधिकारी, यदि वह ठीक समझे, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, शास्ति सहित या शास्ति रहित कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील ऐसी अल्पतर रकम का भुगतान कर दिये जाने पर ग्रहण कर सकेगा जिसका कि वह निदेश दे किन्तु जो (रकम) शास्ति, यदि कोई हो, सहित-कर-निर्धारण के आदेश के या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के, जैसी भी कि दशा हो, अधीन उस व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष के एक-तिहाई से कम न होगी.

(३) अपील प्राधिकारी, ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाय तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, उपधारा (१) के अधीन किसी अपील का निपटारा करते समय—

(क) कर-निर्धारण या शास्ति या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा, या उसे बातिल कर सकेगा; या

(ख) कर-निर्धारण या शास्ति या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को, जिसके कि कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसका कि निदेश दिया जाय, नये सिरे से कर-निर्धारण करे; या

(ग) ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह ठीक समझे.

पुनरीक्षण करने की आयुक्त की शक्ति.

१६. (१) आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यापारी के आवेदन पर, जो आदेश की तारीख से विहित कालावधि के भीतर किया गया हो, उस कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा, और अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और उस पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, व्यापारी पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि वह ठीक समझे :

परन्तु आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा जहां उस आदेश के विरुद्ध अपील धारा १५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हो या जहां, यदि ऐसी अपील होती तो उस ... का अवसान न हो गया हो जिसके कि भीतर वह (अपील) फाइल की जा सकती हो :

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और भी कि आयुक्त किसी व्यापारी द्वारा किये गये किसी ऐसे आवेदन को, जो प्रवेश-कर का भुगतान करने के उसके (व्यापारी के) दायित्व का अवधारण करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध हो या कर निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध हो, कर-निर्धारण आदेश के पारित कर दिये जाने के पश्चात् ही ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं.

स्पष्टीकरण :—आयुक्त के किसी ऐसे आदेश को, जिसके कि द्वारा हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया गया हो, व्यापारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश नहीं समझा जाएगा.

(२) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या प्राप्त हुई जानकारी पर, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, और यदि वह यह समझता हो कि उस कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उसकी सहायता के लिये विक्रय कर अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया हो, पारित किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, गलत है तो वह व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो, जिसके अन्तर्गत कर-निर्धारण में वृद्धि करने वाला या उसे उपान्तरित करने वाला या कर-निर्धारण को रद्द करने वाला तथा नये सिरे से कर-निर्धारण करने का निदेश देने वाला आदेश भी आता है, पारित कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां उस आदेश की, जिसका कि पुनरीक्षण चाहा गया हो, तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् शुरू नहीं की जायंगी.

(३) कोई भी ऐसा व्यापारी, जिसे आयुक्त द्वारा उपधारा (२) के अधीन पारित किये गये किसी आदेश के संबंध में आपत्ति हो, उस तारीख के, जिसको कि वह आदेश उसे संसूचित किया गया हो, साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा.

(४) धारा १५ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उपधारा (३) के अधीन फाईल की गई अपील को लागू होंगे.

प्रवेश-कर के आगमों का मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि में जमा किया जाना.

१७. (१) इस अधिनियम के अधीन प्रवेश-कर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर, यदि विधान सभा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये विनियोग द्वारा ऐसा उपबन्ध करे, इस प्रकार जमा किये गये आगमों को, उनमें से संग्रहण प्रभारों के मद्दे ऐसी धनराशि, जैसी कि वह ठीक समझे, घटाने के पश्चात् निकाल सकेगी और उन्हें सेल्स टैक्स एक्ट की धारा ७-बी के अधीन सृजित की गई मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि में, उस धारा के उपबन्धों के अनुसार सहायता-अनुदान देने के प्रयोजन के लिये, जमा कर सकेगी.

(२) कोई भी राशि, जो उपधारा (१) के अधीन उक्त निधि में जमा की गई हो, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

आदेशों की अन्तिमता.

१८. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी कर-निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन या कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई किसी शक्ति के अनुसरण में की गई हो या की जानी हो या किसी भी ऐसी वसूली के संबंध में, जो भू-राजस्व की बकाया के तौर पर की जानी हो, किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जायगा.

कतिपय मामलों में मुजराई.

१९. जहां किसी व्यापारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, किसी छावनी बोर्ड की सीमाओं के भीतर समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के संबंध में प्रवेश-कर देय हो और उस स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये, माल के प्रवेश पर छावनी बोर्ड द्वारा प्रवेश-कर या चुंगी के स्वरूप का कोई कर उद्ग्रहीत किया जाता हो, वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति या तो उस कर के, जिसका कि उसके द्वारा छावनी बोर्ड को वास्तव में भुगतान कर दिया जाना साबित कर दिया जाय, बराबर रकम की या इस अधिनियम के अधीन देय कर के बराबर रकम की, इनमें से जो भी कम हो, मुजराई विहित रीति में पाने का हकदार होगा.

नियम बनाने की शक्ति.

२० (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुये, नियम बना सकेगी—

(क) धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (तीन) के अधीन अन्य बाजार-मूल्य;

(ख) धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (झ) के उपखण्ड [illegible]

Scanned by CamScanner

(ग) (एक) धारा ४ की उपधारा (१) के प्रथम परन्तुक के अधीन शर्तें तथा निर्बन्धन;

(दो) वह सबूत जिसके पेश किये जाने पर, वह रीति जिसमें तथा वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा ४ की उपधारा (१) के द्वितीय परन्तुक के अधीन मुजराई या वापसी का हकदार होगा और वह अनुपात जिसमें कि वह उसके लिये हकदार होगा.

(घ) (एक) वह प्राधिकारी जिसे, वह रीति जिसमें, वह समय जिसके भीतर तथा वह प्ररूप जिसमें धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन घोषणा फाइल की जायगी;

(दो) धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन शास्ति;

(ङ) धारा ७ के अधीन वह प्ररूप जिसमें घोषणा जारी की जायगी, वह रीति जिसमें ऐसी घोषणा अधिप्रमाणीकृत की जायगी, भरी जायगी, दी जायगी तथा उसका आदान-प्रदान किया जायगा तथा वह प्राधिकारी जसको तथा वह रीति जिसम ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जायगी;

(च) (एक) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा तथा वह रीति जिसमें धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन प्रवेश-कर का निर्धारण तथा संग्रहण किया जायगा;

(दो) वह प्राधिकारी जिसे, वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह रीति जिसमें धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन अपील या पुनरीक्षण होगा;

(छ) (एक) वह रीति जिसमें धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन अपील की जायगी;

(दो) वह प्रक्रिया जिसके अध्यधीन रहते हुये धारा १५ की उपधारा (३) के अधीन आदेश पारित किया जायगा;

(ज) वह समय जिसके भीतर धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन पुनरीक्षण के लिये आवेदन किया जायेगा;

(झ) वह रीति जिसमें धारा १९ के अधीन मुजराई दी जायेगी;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसको धारा २१ के परन्तुक के अधीन घोषणा दी जायगी;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायंगे.

अस्थायी उपबन्ध.

२१. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी व्यापारी ने इस अधिनियम की अनुसूची २ या अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल का किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश १ मई सन् १९७६ के पूर्व किया हो और ऐसे व्यापारी ने उस कर का भुगतान कर दिया हो जो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये ऐसे माल के उस स्थानीय क्षेत्र में हुये प्रवेश पर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन उद्ग्रहीत किया गया हो, वहां ऐसा व्यापारी ऐसे माल के उस उपभोग, उपयोग या विक्रय के संबंध में जो उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् किया जाय, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं होगा और तदनुसार उस व्यापारी की, जो ऐसे कर का भुगतान कर चुका हो, कराधेय मात्रा की संगणना करने में ऐसे माल के मूल्य के संबंध में कटौती अनुज्ञात की जायगी:

परन्तु इस धारा में की कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि व्यापारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन मास के भीतर, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाय, घोषणा न दे दे.

मध्यप्रदेश एक्ट क्रमांक ३ सन् १९५८ की धारा १० का लागू होना.

२२. मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा १० के उपबन्ध उन मामलों के संबंध में, जो स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा १ मई, सन १९७६ के पूर्व उद्ग्रहीत किये गये चुंगी कर की बाबत उक्त तारीख को लम्बित हों, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उस दशा में लागू हुये होते जब कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के सुसंगत उपबन्धों को इस अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया होता.

Scanned by CamScanner

कठिनाई का दूर किया जाना.

२३. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में स्थानीय प्राधिकारियों से संबंधित किसी नि में अन्तर्विष्ट तत्सम उपबन्धों से उक्त उपबन्धों में संक्रमण के परिणामस्वरूप कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज सरकार, "राजपत्र" में अधिसूचित किये गये आदेश द्वारा, इस अधिनियम से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध क सकेगी जो कि कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश १ मई सन् १९७६ से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो चुकने के पश्चात् नहीं किया जायगा.

निरसन.

२४. धारा १ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर क अध्यादेश, १९७६ (क्रमांक ६, सन् १९७६) निरस्त हो जायगा.

अनुसूची १

[धारा ३ (४) देखिये]

प्रवेश-कर से छूट-प्राप्त माल

अनु-क्रमांक	माल का वर्णन	शर्तें तथा अपवाद जिनके अध्यधीन छूट दी गई है
(१)	(२)	(३)
१	राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये वे कृषि-उपकरण जो केवल मानव या पशु द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं या चलाये जाते हैं.	
२	पुस्तकें, जिनके अन्तर्गत ज्योतिषपत्री (अलमेनक्स), पंचांग और रेखा चित्र पुस्तकें (ड्राइंग बुक्स) आती हैं किन्तु जिनके अन्तर्गत सूची-पत्र, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये माल और वस्तुओं का मुख्य रूप से प्रचार करने वाले समस्त प्रकाशन, रेस कार्ड, लेखा पुस्तकें, डायरियां, कैलेण्डर और पुस्तकें (जो अभ्यास-पुस्तकें न हों) जिनमें लिखने के लिये आठ से अधिक पृष्ठ का स्थान हो, नहीं आती हैं.	
३	सावां, कोदों, काकुन, बेझारी, कुटकी और रामधान.	
४	समस्त प्रकार के छाजन छाने के खपरैल (रूफिंग टाईल्स) तथा मगरियां, मंगलोरी, बागरा तथा उसी प्रकार के उच्चकोटि के छाजन छाने के खपरैल और मंगरियों को छोड़कर.	
५	रोटी.	
६	चर्खा, जिसमें अम्बर चर्खा और उसके भाग, लकड़ी तथा रबर के भागों सहित सम्मिलित हैं.	
७	कुम्हारों द्वारा बनाये गये मिट्टी के बर्तन	
८	अण्डे	
९	वैद्युत् ऊर्जा	
१०	अभ्यास पुस्तकें (एक्सरसाईज बुक्स)	
११	"चारा" अर्थात् घास, सूखी घास, भूसा (स्ट्रा) या हरे अथवा सूखे रूप में कोई अन्य पौधा जो मामूली तौर से मवेशियों को खिलाने के उपयोग में लाया जाता हो, उस अवस्था को छोड़कर जब कि अन्य माल का निर्माण करने के लिये कच्चे माल के रूप में उसका क्रय किया जाय.	
१२	मछली.	उस अवस्था को छोड़कर जबकि मुहरबन्द पात्रों में भर कर उसका प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो.
१३	परिरक्षित फलों, सूखे मेवे जिनमें पिंडखजूर तथा नारियल सम्मिलित हैं, से भिन्न फल.	
१४	मांस	उस अवस्था को छोड़कर जबकि मुहरबन्द पात्रों में भर कर उसका प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो.
१५	सब्जी, जिसमें आलू, प्याज, सूखे अदरख (सोंठ) को अपवर्जित करते हुये, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सम्मिलित हैं, किंतु सूखी मिर्च सम्मिलित नहीं है.	उस अवस्था को छोड़कर जबकि मुहरबंद पात्रों में भर कर उसका प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो.

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)
१६	ताजा दूध-दही तथा छाछ	
१७	(एक) मेडीसनल एण्ड टायलेट प्रिपेरेशन्स (एक्साईज ड्यूटीज) एक्ट, १९५५ (क्रमांक १६ सन् १९५५) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों; और (दो) विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब से भिन्न माल जिस पर मध्यप्रदेश एक्साइज एक्ट, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) या ओपियम एक्ट, १८७८ (क्रमांक १ सन् १८७८) के अधीन शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है या किया जा सकता है.	
१८	हाथ-करघे जिनके अन्तर्गत गढ़े वाले करघे (पिट् लूम्स), चौखट वाले करघे (फ्रेम लूम्स), हलकी ढरकी वाले करघे (लाईट शटल लूम्स) और पांव करघे (पैडिल लूम्स) आते हैं.	
१९	हाथ के बने कंबल.	
२०	हाथ का बना कागज.	
२१	मध्यप्रदेश सेल्स ग्राफ खद्दर एक्ट, १९५३ (क्रमांक १० सन् १९५३) की धारा २ के खंड (बी) में यथा परिभाषित खद्दर या खादी के उत्पादन में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण.	
२२	कोसे का कपड़ा, कोसे के ककून को सम्मिलित करते हुये.	
२३	कुंकुम.	
२४	कांच और लाख की चूड़ियां.	
२५	लस्सी.	
२६	पशु-धन, जिसमें कुक्कुटादि (पोल्ट्री) सम्मिलित हैं. ..	
२७	सामयिकी पत्रपत्रिकायें (पीरियाडिकल्स).	
२८	मानव या पशु श्रम से घानी में पेरे हुये तेल (खाने योग्य).	
२९	हाथ करघे पर बुना हुआ पाल.	
३०	कुनैन.	
३१	बुनाई के ऊन को छोड़कर कच्चा ऊन.	
३२	नमक.	
३३	बातित, खनिज तथा आसुत जल से भिन्न जल.	
३४	लिखने की स्लेट तथा स्लेट-पेंसिलें, चाक-स्टिक, खड़िया (क्रेयान्स) और एक फुट की नापने की पट्टियां (फुट रूल्स).	
३५	सिराली, बागेसी, बरूं, ताड़ पत्तियां, ऐसी पत्तियों से बनी हुई टोकनियां तथा उनसे बने टट्टे, पंखे, पर्दे, चटाइयां तथा अन्य वस्तुयें.	

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)
36	हाथ से निर्मित सूमा और गिरमा.	
37	बांस के बने बर्तन जैसे दौरी, सूपा आदि...	
38	हाथ की बनी चमड़े की बरही.	
39	कपास का हाथ से काता गया सूत.	
40	पान.	
41	खादी सिल्क के वस्त्र, अर्थात् कोई भी ऐसा वस्त्र जो भारत में हाथ से काते गये रेशम के तागे से या ऐसे रेशमी तागे और भारत में हाथ से काते गये सूती और/या ऊनी तागे के मिश्रण से भारत में हाथ करघों पर बुना गया हो, खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 61 सन् 1956) की धारा 2 के खंड (डो) में यथा परिभाषित खादी के बने बनाये कपड़े तथा/या उक्त एक्ट से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये निम्नलिखित ग्रामोद्योगों के उत्पादन-- (एक) मधुमक्खी पालन; (दो) माचिस का कुटीर उद्योग; (तीन) मिट्टी के वर्तन बनाने का कुटीर उद्योग; (चार) साबुन का कुटीर उद्योग; (पांच) चमड़ा तथा खाल को उतारना (फ्लेइंग), अभिसाधन करना (क्योरिंग) तथा पकाना (ट्रेनिंग) और इनसे संबंधित सहायक उद्योग और चमड़े का कुटीर उद्योग; (छः) तेलघानी उद्योग; (सात) गन्ना गुड़ तथा खंडसारी का निर्माण; (आठ) ताड़ बनाना तथा ताड़ उत्पादन उद्योग; (नौ) अनाजों तथा गुड़ दालों का विधायन (प्रोसेसिंग).	जब कि प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये, किसी ऐसे उत्पादक द्वारा और/या किसी ऐसे संगठन द्वारा किया गया हो जिसे खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 61 सन् 1956) के अधीन गठित किये गये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा या मध्यप्रदेश खादी एण्ड विलेज इन्ड्रीज एक्ट, 1959 के अधीन गठित किये गये राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रमाणित किया गया हो.
42	समाचार पत्र	
43	स्काट, अंश, प्रतिभूतियां तथा सरकारी स्टाम्प.	

Scanned by CamScanner

अनुसूची—२

(धारायें 4, 9 तथा 12 देखिये)

अनुक्रमांक (1)		माल का वर्णन (2)	प्रवेश कर की दर (3)
1		कोयला जिसके अन्तर्गत अपने सब रूपों में कोक भी है, किन्तु लकड़ी के कोयले को अपवर्जित करके.	2.5 प्रतिशत
2		चमड़े तथा खालें, चाहे वे कच्ची अवस्था में हों या परिष्कृत	2.5 प्रतिशत
3		लोहा और इस्पात, अर्थात् :—	2.5 प्रतिशत
	(एक)	कच्चा लोहा और ढलावां लोहा, जिसके अन्तर्गत सिल्ली के सांचे, तल्ली प्लेटें, लोहे के स्क्रेप, ढलवां लोहे के स्क्रेप, रनर स्क्रेप और लोहे के स्कल स्क्रेप भी हैं;	
	(दो)	स्टील सेमीज (समस्त क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियां, पट्टियां, ब्लूम और बिलेट);	
	(तीन)	स्केल्प शलाकायें, टिन शलाकायें, चद्दर शलाकायें, खनिज लशाकायें और स्लीपर शलाकायें;	
	(चार)	इस्पात शलाकायें (गोल छड़ वर्गीय, चपटी, अष्टभुजीय और षट्भुजीय) समतल तथा शिरायुक्त या मरोड़ युक्त, कुन्डली रूप वाली तथा सीधी लम्बाई की भी;	
	(पांच)	इस्पात के ढांचे (कोण, शहतीरें, चेनल, टीज, शीट पाइलिंग सेक्शन, जेड सेक्शन या अन्य कोई बेल्लित सेक्शन);	
	(छः)	चादरें, चक्र, छोलन तथा स्केल्प, काली तथा जस्तेदार दोनों ही, ऊष्ण तथा ठंडी, बेल्लित, समतल तथा नालीदार, सभी क्वालिटियों की, सीधी लम्बाई, तथा कुन्डलीरूप वाली, बेल्लित जैसी और कीलक दशा में की;	
	(सात)	सभी क्वालिटियों वाली प्लेटें, समतल तथा चेकर्ड दोनों ही;	
	(आठ)	चक्रिया, वलय, धट्टन तथा इस्पात सांचे;	
	(नौ)	औजार, मिश्र-धातु तथा उपयुंक्त किसी भी कोटि के विशेष इस्पात	
	(दस)	गले इस्पात के सभी रूप के स्केप, जिनके अन्तर्गत इस्पात स्कल, खरादन तथा बेंधन भी हैं;	
	(ग्यारह)	इस्पात की नलिकायें, झलीं हुई (वेल्डेड) तथा बिना जोड़, दोनों प्रकार की, सभी व्यासों और लम्बाइयों वाली जिनके अन्तर्गत नलिकाओं की फिटिंग भी हैं;	
	(बारह)	टिन प्लेटें, तप्तनति तथा विद्युत् विश्लेषिक, दोनों भांति की तथा टिन मुक्त प्लेटे;	
	(तेरह)	फिशप्लेट शलाकायें, वेयरिंग प्लेट शलाकायें, क्रासिंग स्लीपर शलाकायें, फिश प्लेटें, बेयरिंग प्लेटे, क्रासिंग स्लीपर्स तथा संपीड़ित इस्पात स्लीपर्स, पटरियां—भारी तथा हल्की, क्रेन पटरियां;	
	(चौदह)	पहिये, टायर, धुरियां (एक्सेल्स) तथा पहियों के सेट;	
	(पन्द्रह)	तारों की छड़ें तथा तार—बेल्लित, खींचे गये, जस्तेदार, एल्युमिनियम युक्त, रांगायुक्त या विलेपित, जैसे तांबे से;	
	(सोलह)	उपयुक्त कोटियों में से किसी के नुक्सवाले, कतरे हुये या सिरों के टुकड़े.	

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)
4	पटसन, अर्थात् कारकोरस केपसुलरीज तथा कारकोरस ओलीटोरियस जाति के पौधों से निकाले गये तन्तु और हिबिसकस कन्न बिनस तथा हिबसकस सबदरीफाबार अल्टीस्सिमा जाति के पौधों से निकाले गये मेस्ता या बिमली नाम के तंतु और क्रोटेलेरिया जुनसिया जाति के पौधों से निकाले गये सन या सनई नाम के तन्तु, चाहे वे गांठबंध या अन्य दशा वाले हों.	2.5 प्रतिशत
5	तिलहन, अर्थात् —	2.5 प्रतिशत

(एक) मूंगफली या चीनी बादाम (एरेकिस हाइपोगेइया);

(दो) सेसामम या तिल (सेसामम ग्रारियन्टेबल);

(तीन) बिनौला (गॅसीपियम एस. पी. पी.);

(चार) सोयाबीन (ग्लाइसीन सेजा);

(पांच) सर्षप तथा सरसों—

(1) तोरिया (ब्रेसिका केम्पेसट्रिस वार टोरिया);

(2) राई (ब्रेसिका जुनसिया);

(3) जम्बा-टेरेमिरा (इरुका सेटिया);

(4) सरसों, पीली तथा भूरी (ब्रेसिका केम्पेसट्रिस वार सरसों);

(5) बनारसी राई या असली सरसों (ब्रेसिका नाइग्रा);

(छः) अलसी (लिनम यूसीटेटिसीमम);

(सात) अंडी (रिसिनस कोम्यूनिस);

(आठ) नारियल (अर्थात् खोपरा, कच्चे नारियल को अवपर्जित करके) (कोकोस न्यूसीफेरा);

(नौ) सूरजमुखी (हैलियान्थस अनस);

(दस) राम तिल (गुइजोटिया एबिसिनिका);

(ग्यारह) नीम, वेपा (एजेडीरेचटा इन्डिका);

(बारह) महुआ, इल्लुपाई, इप्पे (मधुका इन्डिका एम. लेटिफोलिया, बेसिया, लेटिफोलिया तथा मधुका लोंगीफोलिया सिन, एम. लोंगीफोलिया);

(तेरह) करंज, पोंगम, होंगा (पोंगोमिया, पिन्नट सिन, पी. ग्लाबरा);

(चौदह) कुसुम (श्लेइचेरा ग्रालेग्रोसा, सिन. एस. त्रिजुग);

(पन्द्रह) पुन्ना, उन्दी (केलोफीलम, इनोफीलम);

(सोलह) कोकम (केरसीनिया इन्डिका);

(सत्रह) साल (शोरिया रोबस्टा);

(अठारह) तुंग (एलक्यूरीटस फोरदी तथा ए. मोन्टेना);

(1)	(2)	(3)
	(उन्नीस) लाल ताड़ (एलासिस गुईनोनसिस);	
	(बीस) जाफरान (कारथेनस टिंक्टोरियस);	
6	कपास, अर्थात् उसकी अनिर्मित अवस्था में सब प्रकार की कपास (देशी या आयात की हुई) चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई, गांठ बांधी हुई, दबाई हुई या अन्य प्रकार की हो किन्तु उसमें क्षेप्य (छीजन) कपास सम्मिलित नहीं है.	2.5 प्रतिशत
7	कपास का सूत, किन्तु उसमें कपास के सूत के क्षेप्य टुकड़े सम्मिलित नहीं हैं.	2.5 प्रतिशत
8	सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 19 में यथापरिभाषित सूती वस्त्र.	1.5 प्रतिशत
9	सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 22 में यथापरिभाषित रेयान या कृत्रिम रेशमी वस्त्र.	2.5 प्रतिशत
10	सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 21 में यथापरिभाषित ऊनी वस्त्र	2.5 प्रतिशत
11	सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 1 में यथापरिभाषित शक्कर ..	2.00 प्रतिशत
12	(एक) सिगरेट, सिगार तथा चुरुट.	3.00 प्रतिशत
	(दो) समस्त प्रकार की बीड़िया, नास (स्नफ्स) तथा अन्य प्रकार की समस्त तम्बाकू जो कि सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड साल्ट एक्ट, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 4 में परिभाषित है.	2.5 प्रतिशत

Scanned by CamScanner

अनुसूची ३

(धाराएं ४, ६ तथा १२ देखिये)

अनुक्रमांक (१)	माल का वर्णन (२)	प्रवेश-कर की दर (३)
	भाग—एक	
१.	बुलियन और सिक्के (स्पेसी).	१/२ प्रतिशत.
२.	चूर्ण की हुई हड्डियों से भिन्न उर्वरक.	१/२ प्रतिशत.
३.	खली.	१/२ प्रतिशत
४.	सब प्रकार के अनाज, धान्य तथा चावल (अनुसूची १ की प्रविष्टि ३ के अधीन छूट-प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर) उनके समस्त रूपों में और उनका पिसान जिसके अन्तर्गत आटा, मैदा और सूजी आती है, उस स्थिति को छोड़कर जबकि वह मुहरबन्द आधानों (कन्टेनर्स) में बेचे जाएं.	१ प्रतिशत.
५.	जलाऊ लकड़ी तथा लकड़ी का कोयला.	१ प्रतिशत.
६.	मिट्टी का तेल.	१ प्रतिशत.
७.	सिंचाई के पम्प तथा सिंचाई के पम्प सेट्स [अर्थात् कुएं, नदी या जलधारा आदि से पानी का उद्वहन करने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले ऐसे पम्प जो सामान्यतः अपकेन्द्री पम्प (सेन्ट्रीफ्युगल पम्प) के रूप में जाने जाते हैं.]	१ प्रतिशत.
८.	ट्रेक्टर और उनके अनुयान (ट्रेलर्स).	१ प्रतिशत.
९.	(क) मोटर यान जिसमें मोटर यानों के चेसिस, मोटर के ढांचे (बॉडीज) मोटर टायर तथा ट्यूब्ज और मोटर यानों के अतिरिक्त पुर्जे (पार्ट्स) तथा उपसाधन सम्मिलित हैं.	१ प्रतिशत.
	(ख) बैटरियां, जिनमें विक्रय कर अधिनियम की अनुसूची २ के भाग दो की प्रविष्टि ३० में वर्णित सेल सम्मिलित नहीं है.	१ प्रतिशत
	(ग) मोटर साइकिलें तथा मोटर साइकिल काम्बिनेशन्स, मोटर स्कूटर, मोटरेट्स, आटो-रिक्शा और उनके टायर, ट्यूब, अतिरिक्त पुर्जे (पार्ट्स) तथा उपसाधन.	१ प्रतिशत
१०.	नाशिकीटमार (पेस्टीसाइड्स)	१ १/२ प्रतिशत
११.	सब प्रकार की खड़ी तथा दली हुई (ब्रोकन) दालें, खड़ी दालों के उपोत्पाद जैसे चुनी आदि और दली हुई (ब्रोकन) दालों का पिसान जैसे बेसन आदि.	१ १/२ प्रतिशत
१२.	वनस्पति तथा खाने के तेल, प्रविष्टि १६ में विनिर्दिष्ट किये गये माल को और उन तेलों को छोड़कर जो अनुसूची १ की प्रविष्टि ३६ के अंतर्गत छूट-प्राप्त है.	१ १/२ प्रतिशत
१३.	पशु आहार तथा कुक्कुट आहार.	१ १/२ प्रतिशत
१४.	पेट्रोल.	१ १/२ प्रतिशत
१५.	निजी उपयोग के सोने के आभूषण तथा चांदी के आभूषण.	१ १/२ प्रतिशत
१६.	शुद्ध घी, उद्जनित वनस्पति तेल, वेजीटेबल घी और वनस्पति घी.	२ प्रतिशत
१७.	टायलेट साबुन, धोने का साबुन तथा सब प्रकार के अपक्षालक (डिटरजेन्ट्स).	२ प्रतिशत

(१)	(२)	(३)
१८.	भेषज् (ड्रग्ज) तथा दवाइयां.	२ प्रतिशत
१९.	माचिस.	२ प्रतिशत
२०.	स्टेशनरी का सामान, अर्थात् वह सामान जो सरकार द्वारा स्टेशनरी के सामान के रूप में अधिसूचित किया गया हो.	२ प्रतिशत
२१.	(एक) लाइट डीजल आइल.	२ प्रतिशत
	(दो) हाई स्पीड डीजल आइल.	२ प्रतिशत
	(तीन) एविएशन स्पिरिट तथा एविएशन टरबाइन फ्यूल.	२ प्रतिशत
	(चार) प्रविष्टि १४ में तथा इस प्रविष्टि में वर्णित मोटर स्पिरिट से भिन्न स्पिरिट. ..	२ प्रतिशत
	(पाच) मिट्टी के तेल से भिन्न सब प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद और खनिज तैल. ..	२ प्रतिशत
	(छः) स्नेहक (लुबिकेन्ट्स).	२ प्रतिशत

भाग—दो

२२.	ऐसा समस्त माल जो— (क) अनुसूची १ में सम्मिलित माल, ... (ख) अनुसूची २ में सम्मिलित माल, और (ग) इस अनुसूची के भाग एक में सम्मिलित माल से भिन्न हो.	२,१/२ प्रतिशत

———

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-द] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3058/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 13 सन् 2002) है.

(2) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची एक में संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 1 के सामने कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी :—

प्रविष्टियों 4, 14 (गन्ना को अपवर्जित करते हुए), 15 में विनिर्दिष्ट किया गया माल और प्रविष्टि 5 में विनिर्दिष्ट आटा, मैदा, सूजी और चोकर को छोड़कर वाणिज्यिक कर अधिनियम की अनुसूची-एक में निर्दिष्ट किया गया माल.

अनुसूची दो में संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में,

(1) अनुक्रमांक 10 (ख) में, शब्द "और गुड़ाकू" विलोपित किए जाएंगे और प्रविष्टि 10 (ख) के बाद निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी :—

(ग)	गुड़ाखू	20

(2) अनुक्रमांक 22 एवं 27 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे :—

22 (क)	तंबाकू युक्त पान मसाला जिस पर केन्द्रीय उत्पाद एवं तटकर अधिनियम, 1985 (क्रमांक 5 सन् 1986) के अंतर्गत अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय है या उद्ग्रहणीय योग्य है.	20
(ख)	पान मसाला जो प्रविष्टि (क) में सम्मिलित नहीं है.	1
27 (क)	फ्लाई एश ब्रिक्स	5
(ख)	फायर ब्रिक्स, फायर क्ले और फ्लाई-एश ब्रिक्स को छोड़कर ईंटें	1

(3) अनुक्रमांक 41 में कालम (2) में शब्द "उद्जनित वनस्पति तेल" लोप किये जायेंगे.

(4) अनुक्रमांक 41 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी,

41-ए	(एक)	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित हो.	0.5
	(दो)	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित न हो.	20

(5) अनुक्रमांक 58 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जायेगी,

59	आटा, मैदा, सूजी और चोकर	5

4. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची तीन में, — अनुसूची तीन में संशोधन.

(1) अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में शब्दों "और अनुसूची दो" के स्थान पर शब्द, "अनुसूची दो और इस अनुसूची की अन्य प्रविष्टि" प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

(2) प्रविष्टि 1 के बाद निम्न प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी :—

2.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी. वी. सी. केसिंग पाइप	10

रायपुर : **भारसाधक सदस्य**

दिनांक :

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3058/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 13 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No.13 of 2002)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 13 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of publication in the Gazette.

Amendment of Schedule I.

2. In Schedule I of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the entry in column (2) against Serial No. 1, the following shall be substituted :—

Goods specified in Schedule I of the Vanijyik Kar Adhiniyam except the goods specified in entries 4, 14 (excluding sugarcane) 15 and Atta, Maida, Suji, wheat bran specified in entry 5.

Amendment of Schedule II.

3. In Schedule II of the Principal Act,

(1) in Serial number 10 (b), the words "and gudaku" shall be deleted and after entry 10 (b) following entry shall be inserted :—

(c)	Gudakhu	20

(2) for Serial Numbers 22 and 27 following shall be substituted :—

22	(a)	Pan Masala containing Tobacco on which additional excise duty is levied or leviable under the Central Excise Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986).	20
	(b)	Pan Masala not included in sub-entry (a)	1
27	(a)	Fly ash bricks	5
	(b)	Bricks excluding fly ash bricks fire bricks and fire clay.	1

(3) in Serial No. 41 in column (2) the words "Hydrogenated Vegetable oil" shall be omitted.

(4) after serial No. 41 following entry shall be inserted,

41-A	(i)	Hydrogenated vegetable oil manufactured in India.	0.5
	(ii)	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India.	20

(5) after serial No. 58 following entry shall be inserted

59	Atta, maida, suji and wheat bran	5

Amendment in Schedule III. 4. In Schedule III of the Principal Act,

(1) in column (2) of Serial number 1, for words "and Schedule II", the words, "Schedule II and other entry of this Schedule" shall be substituted.

(2) after entry 1 following entry shall be inserted :

2.	Cane basket, drill rod and P.V.C. Casing pipe.	10

Raipur :

Dated :

Member-in-charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2005— पौष 24, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2005

क्रमांक 420/21-अ/प्रारुपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) है.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-एक का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है), की अनुसूची-एक में सरल क्रमांक 1 के सामने कॉलम (2) में शब्द "चोकर" के पश्चात् शब्द "तथा चांवल का चापड़" अंतः स्थापित किया जाये.

अनुसूची-तीन का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन में प्रविष्टि क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाये,-

"3. चांवल का चापड़-2"

निरसन. 4. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 2 सन् 2004) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2005

क्रमांक 420/21-अ/प्रारुपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 21 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2004)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2004

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India as follows :-

1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Act, 2004 (No. 21 of 2004). **Short title and Commencement.**

   (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In schedule I of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Per Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the principal act), in column (2) against serial No. 1 after the words "bran" the words "and rice bran" shall be inserted. **Amendment of Schedule I.**

3. In schedule III of the Principal Act, after entry No. 2 the following entry shall be inserted **Amendment of Schedule III.**

   "3. Rice bran-2"

4. Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 (No. 2 of 2004) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित --2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जनवरी 2006—माघ 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 622/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-13 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है), की धारा-13 में अंक "45" के पश्चात् शब्द और अंक "45-क, 45-ख, 45-ग, और 45-ग ग" अन्तःस्थापित किये जाएं.

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 4 सन् 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 622/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 5 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2006)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ACT, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section-13.

2. In section-13 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam) after the figure "45" the words and figures "45-A, 45-B, 45-C and 45-CC" shall be inserted.

Repeal.

3. Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Ordinance, 2005 (No. 4 of 2005) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मई 2006—वैशाख 26, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक 4817/डी-145/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6-5-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) है.

   (दो) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2, 3, 3-क, 6, 13 एवं 14 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2, 3, 3-क, 6, 13 एवं 14 में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम" अथवा "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995)" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005)" प्रतिस्थापित किये जाएं.

धारा 2 (1) (ग) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में शब्दों एवं अंकों "भोपाल स्टेट टाऊन कमेटि एक्ट, 1954 (क्रमांक 25 सन् 1954)" को विलोपित किया जाए.

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, अंकों एवं शब्दों "3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42 43, 45, 45-क, 45-ख, 45-ग, 45-गग, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 एवं 80" के स्थान पर अंकों एवं शब्द "3, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एवं 71" को प्रतिस्थापित किया जाए.

[illegible]

5. मूल अधिनियम की अनुसूची-दो में अनुक्रमांक 22 के सामने कालम (3) में अंक "1" के स्थान पर अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

[illegible] — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. स्थानीय क्षेत्र में माल [illegible] (क्र. 18 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2006)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (i) This Act may be called Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Adhiniyam, 2006 (No. 18 of 2006).

(ii) It shall come into force from First of April 2006.

Amendment of Section 2, 3, 3-A, 6, 13 and 14.

2. In section 2, 3, 3-A, 6, 13 and 14 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act), wherever the words "Vanijyik Kar Adhiniyam" or the words and figures "Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995)" occur the words and figures "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)" shall be substituted.

Amendment of Section 2 (1) (C)

3. In clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the principal Act, the words and figures "the Bhopal State Town Area Committee Act, 1954 (No. 25 of 1954)" shall be omitted.

Amendment of Section 13.

4. In section 13 of the Principal Act for the figures and words "3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45-A, 45-B, 45-C, 45-CC, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 and 80" the figures and words "3, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71" shall be substituted.

Amendment of Schedule-II.

5. In Schedule-II of the Principal Act, in column (3) against serial number 22 for the figure "1" the figure "10" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसग[illegible]/दुर्ग/ तक. 114/-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अगस्त 2007--भाद्र 7, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2007

क्रमांक 7517/डी. 188/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-दो का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), अनुसूची-दो में,—

अनुक्रमांक 22 के स्तंभ क्रमांक (2) में प्रविष्टि (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाय :—

"(क) तम्बाकु युक्त पान मसाला"

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2007

क्रमांक 7517/डी. 188/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2007)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (AMENDMENT) ACT, 2007

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Act, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule-II.

2. In Schedule-II of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

For the entry (a) in column number (2) of serial number 22, the following entry shall be substituted :—

"(a) Pan Masala containing Tobacco".

Repeal.

3. Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Ordinance, 2007 (No. 1 of 2007) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2014— चैत्र 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 2779/डी. 48/21-अ/प्रारू./छ. ग./14 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (चच) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चचच) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है, ऐसा मूल्य, जिस पर माल का विक्रय सामान्यतः बाजार में होता है या जहां माल का विक्रय सामान्यतः बाजार में नहीं होता है या उसका सही विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं होता है तो, ऐसा मूल्य, जो कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाये."

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग, जिन पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होता है, से ऐसा कर उदग्रहित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये तथा तदुपरांत इस प्रकार अधिसूचित कर, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा भुगतान किया जायेगा :"

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 2779/डी. 48/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

Scanned by CamScanner

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2014)

THE CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2014.

Amendment of Section 2.

2. After clause (ff) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), (here-in-after referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(fff) "Market Value" means the value at which the goods are generally sold in the market or where the goods are not generally sold in the market or the correct sale price thereof is not ascertainable, such value as may be notified by the State Government."

Amendment of Section 3.

3. For sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(ii) such tax, as may be notified by the State Government shall be levied from such persons or class of persons, to whom the provisions of sub-section (1) do not apply, and thereupon the tax so notified, shall be paid by such persons or class of persons :"

Scanned by CamScanner